

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर 2024—आश्विन 1, शक 1946

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2024

क्र. 1135-रा.स.-यू.ए.-5-2014.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन), (चार), (पांच) एवं (छः) के अंतर्गत राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल में आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि हेतु निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामांकित किया है :—

स. क्र.	नामांकित व्यक्ति का नाम	अधिनियम का प्रावधान
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. रघुराज किशोर तिवारी, प्राध्यापक, ऐग्रोनॉमी, (कृषि महाविद्यालय, रीवा) पता.—मकान नं. 172, वार्ड 5, पाडरा, रीवा (म. प्र.) मो. 9827003237	धारा 27(2) (तीन)
2.	(1) श्री भवानी शंकर शर्मा, पता.—53, श्री विहार कॉलोनी, घोसीपुरा, ग्वालियर (म. प्र.) मो. 9425779051 (2) श्री सरवनलाल धाकड़, पता.—ग्राम एंचोली, तहसील कैलारस, मुरैना (म. प्र.) मो. 9826396488	धारा 27(2) (चार)
3.	श्रीमती पल्लवी व्यास, पता.—जी-51, एम. आई. जी. कॉलोनी, एम. आई. जी. पुलिस स्टेशन के पीछे, इंदौर (म. प्र.) मो. 8889919222	धारा 27(2) (पांच)
4.	डॉ. मधुसूदन शर्मा, पता.—बी. एम.-488, पंडित दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म. प्र.) मो. 9827391077	धारा 27(2) (छः)

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,

उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.